(22)

सं0 2/8/97-स्थापना (वेतन-II)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक मार्च 11, 1998

कार्यालय-ज्ञापन

विषयः मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के बारे में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, राष्ट्रपति यह तय करते है कि इस विभाग के दिनांक दिसम्बर 18, 1986 तथा फरवरी 24, 1987 के का0ज्ञा0 सं0 6/30/86-स्था0 (वेतन-II) में निहित आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निम्न प्रकार विनियमित किया जाएगा :-

1. मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त केन्द्रीय सरकार/स्वायत्त निकायों के अधिकारी:

(i) जब केन्द्रीय सरकार/स्वायत्त निकायों के निचले स्तरों के पदों पर कार्य-रत अधिकारी, अथवा ऐसे अधिकारी जो उन स्तरों के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित नहीं किए गए हों जिन स्तरों के पद मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में हों, उच्चतर पदों पर नियुक्त किए जाएं, तब उन्हें उनके वेतनमान (ग्रेड) में वेतन के अतिरिक्त, निम्नलिखित दरों पर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दिया जाएः-

(क) 8000/- रूपये प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के संबंध में	मूल वेतन का 12.5% जिसकी अधिकतम सीमा 1000/- रूपये प्रति माह होगी ।
(ख) 8000/- रूपये प्रति माह तक मूल वेतन प्राप्त कर रहे अधिकारियों के संबंध में	मूल वेतन का 15% जिसकी अधिकतम सीमा 1000/- रूपये प्रति माह होगी ।

(ii) जहां तक समतुल्य और/अथवा सदृश पदों पर, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त होने वाले अधिकारियों का संबंध है उन्हें उनके वेतनमान (ग्रेड) में वेतन के अतिरिक्त मूल वेतन के 5% की दर पर प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दिया जाए जिसकी अधिकतम सीमा 500/- रूपये प्रति माह होगी ।

.....2/-

(iii) उपर्युक्त (i) तथा (ii) में उल्लिखित दोनों ही मामलों में निर्धारित दरों पर वेतनमान (ग्रेड) में वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दोनों मिलाकर, उस पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होना चाहिए जिस पर अधिकारियों की नियुक्ति की गई हो ।

II. मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त राज्य-सरकारों /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी :

उपर्युक्त नियुक्ति की शर्तें कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के दिनांक 26.12.1984 के का.ज्ञा. संख्या 1/4/84-स्था0 (वेतन-II) में निहित आदेशों द्वारा नियंत्रित की जाएं, परंतु प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता 1000/- रुपये प्रति माह तक सीमित रखा जाए, अर्थात् उपर्युक्त भत्ता 1000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होने दिया जाए ।

III. मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त निजी क्षेत्र के अधिकारी:

सामान्यतः उनका वेतन उस पद के वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाए, जिस पर वे नियुक्त किए गए हों । तथापि , जहां उनका वेतन उन्हें अग्रिम वेतनवृद्धि (वृद्धियां) देकर नियत किए जाने का प्रस्ताव हो, वहां कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित होगा ।

2. जहां तक उन कर्मचारियों का संबंध है जो अगस्त 01, 1997 को मौजूद स्थिति के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, यदि उन्हें प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि के दौरान , संशोधन पूर्व वेतनमान में, अपने संवर्ग-पद के वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त मिल रहा प्रतिनियुक्ति -भत्ता उन्हें अपनी प्रतिनियुक्ति की वर्तमान अवधि के संबंध में अगस्त 01, 1997 के बाद मिलने वाले लाभ से अधिक हो तो, उक्त लाभांश ऐसे कर्मचारियों को उनके वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाता रहे और उसे उनकी अगली वार्षिक वेतन-वृद्धियों और महंगाई-भत्ते में समाहित-समायोजित कर दिया जाए। किन्तु यह व्यवस्था अगस्त 01, 1997 को अथवा उसके बाद प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में सुलभ नहीं होगी ।

3. ये आदेश अगस्त 01, 1997 से लागू होंगे । इस तारीख से पहले, मंत्रियों के वैयक्तिक स्टाफ में नियुक्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले, उपर्युक्त पैरा । में उल्लिखित आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

जे. विल्सन 11.3.98

(जे. विल्सन)

भारत सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)

.....3/-